7

दिनांक 26.12.2018 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), जिला कृषि पदाधिकारियों एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियों काँफ्रेंस की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– संचिका में संधारित

कृषि निदेशक, बिहार द्वारा सर्वप्रथम विडियों कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. कृषि विभाग द्वारा व्यय की गई राशि :– कृषि निदेशक, बिहार द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अभी तक विभाग द्वारा 1400 करोड़ रू0 की योजना की स्वीकृति हो चुकी है लेकिन अभी तक विभाग द्वारा मात्र 18.7% राशि ही व्यय किया गया है, उसमें से भी अधिकांश राशि डीजल अनुदान मद में ही व्यय हुआ है। शेष योजनाओं की राशि खर्च नहीं हो पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त द्वारा बराबर इसकी समीक्षा हो रही है। निदेश दिया गया कि खरीफ का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, इसकी उपलब्धि के विरूद्ध राशि की निकासी कर अविलम्ब कृषकों को भुगतान किया जाय ताकि विभाग का व्यय बढ़ सके।

(अनु0 –सभी जिला कृषि पदा0)

2. बीज :–

2.1 निदेश दिया गया कि बीज वितरण की योजना अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि बी0आर0बी0एन0 के माध्यम से खर्च किया जाना है। बी0आर0बी0एन0 द्वारा जिलों में उपलब्ध कराये गये बीज की प्राप्ति रशीद सम्बंधित संस्था को अविलम्ब भेज दें ताकि उनके विपत्र का भुगतान किया जा सके।

2.2 सूचित किया गया कि दिनांक–01.12.02018 से पूर्व जो बीज बिक्री किया जा चुका है, उसके लिए बीज वितरण के "app" में व्यवस्था कर दी गई है, उसे upload कर लिया जाय।

2.3 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विकास योजना, बीज ग्राम योजना, अनुदान पर बीज वितरण योजना के अन्तर्गत जो बीज वितरित किया गया है उसका अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

2.4 सीड एण्ड प्लाटिंग मॅटेरियल अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये बीजं का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन Google doc पर अपलोड करने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनु0–कंडिका 2.1 से 2.4 सभी जि0कृ0पदा0)

2.5 आकस्मिक फसल योजना का प्रगति प्रतिवेदन पटना, नालन्दा, जहानाबाद, नवादा, सीवान एवं शेखपुरा से अप्राप्त है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जि0कृ0पदा0)

3. उर्वरक :–

3.1 समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुछ जिलों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि जिलों में उपलब्ध उर्वरकों को अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। निदेश दिया गया कि भंडार में विभिन्न कम्पनियों से उपलब्ध उर्वरकों को उचित मूल्य पर बेचा जाय एवं बिक्रेताओं पर सतत निगरानी रखी जाय।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0)

3.2 जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि उनके जिला में यूरिया उपलब्ध नहीं है। बताया गया कि कोरोमण्डल कम्पनी का यूरिया फतुहा रैक पर उपलब्ध है। जिला कृषि पदाधिकारी नवादा, जहानाबाद एवं अरवल को इस रैक से यूरिया का उठाव करने का निदेश दिया गया ।

(अनु0–सम्बंधित जि0कृ0पदा0)

3.3 सभी जिलों को दिनांक–23.12.2018 को जिलों में विभिन्न कम्पनियों का उपलब्ध यूरिया की मात्रा की जानकारी दी गई तथा सूचित किया गया कि 74146 मे0 टन यूरिया राज्य को प्राप्त हो रहा है, जो अभी पारगमन (Transit) में है। रेलवे रैक की कमी के कारण राज्य में यूरिया पहुँचने में कुछ विलम्ब हुआ है। निदेश दिया गया कि POS मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री की जाय। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को इसपर निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

3.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर आयोजित होनेवाली उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की जानकारी प्राप्त की गई। निदेश दिया गया कि जिन जिलों में गत बैठक आयोजित हुए तीन माह हो चुकें हैं, वे पुनः बैठक करायें एवं बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनु0–3.3 से 3.4–सभी जि0कृ0पदा0)

4. <u>राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र :–</u>

4.1 सूचित किया गया कि प्रक्षेत्रों में खेती के लिए जिलों में 18 करोड़ रू0 का आवंटन भेजा गया है, इसमें से अभी तक मात्र 2.29 लाख रू0 की ही निकासी की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को 1.5 करोड़ रू0 उपलब्ध कराया गया है। उन्हें इसे अविलम्ब निकासी करने का निदेश दिया गया ताकि प्रक्षेत्र का व्यय बढ़ सके।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0 पटना)

4.2 सूचित किया गया कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद, अरवल, नवादा, छपरा, गोपालगंज, सिकरहना, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी पश्चिमी, बेनीपट्टी, झंझारपुर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, खगड़ीया, बाँका, पूर्णिया एवं कटिहार तथा जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक, सिपाया, मुशहरी एवं खुशकीबाग द्वारा निकासी अभी तक शून्य है। निदेश दिया गया कि खरीफ मौसम में चलाये गये कार्यक्रमों की राशि की निकासी अविलम्ब की जाय।

4.3 कृषि निदेशक बिहार द्वारा बताया गया कि भागलपुर, मुंगेर एवं पूर्णिया प्रमंडल के जिलों से जो गेहूँ बीज बी0आर0बी0एन0 को प्राप्त हुआ है, उसका 90% बीज Germination test में fail हो गया है। इसलिए प्रक्षेत्रों में उत्पादित हो रहे बीज की गुणवता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

4.4 प्रक्षेत्रों की घेराबंदी के लिए L.E.O (Local Engineering Organisation) को जो राशि उपलब्ध कराई गई थी, उसपर निगरानी रखने,टेंडर हुआ या नही, कार्य प्रारंभ की स्थिति के साथ विस्तृत प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका–4.2 से 4.4–सम्बंधित जि0कृ0पदा0)

5. <u>पंचायत स्तरीय कृषि कार्यालय :–</u>पंचायत स्तरीय कृषि कार्यालयों के लिए उपस्कर के क्रय करने हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर से दो पदाधिकारियों को नामित करा कर एक टीम गठित कराने का आदेश दिया गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब टीम गठित करा कर निविदा आमंत्रित किया जाय ताकि राशि समय से व्यय हो सके।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0)

6. <u>किसान सलाहकार :–</u>समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों में किसान सलाहकार का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि इसका आवंटन पूर्व में ही जिलों को उपलब्ध करा दिया गया हैं। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसान सलाहकार के मानदेय का अविलम्ब भुगतान कर दिया जाय, ताकि राशि व्यय हो सके।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0)

7. <u>मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण :–</u> राज्य योजना से 800.00 लाख रू0 स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत भोजपुर जिला में अभी तक निकासी शून्य है तथा नालन्दा,

औरंगाबाद, मुंगेर, सहरसा, कैमूर, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा एवं बाँका जिला में बहुत कम राशि की निकासी की गई है। इन जिलों को अविलम्ब राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जि0कृ0पदा0)

8. <u>मिट्टी नमूना</u> :–विभिन्न बैठकों एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद लक्ष्य के विरूद्ध मिट्टी नमूना संग्रह की उपलब्धि अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, गोपालगंज, कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीवान एवं सुपौल में संतोषजनक नहीं है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला में भेजवाकर इसकी जाँच कराई जाय।

(अनु0–सम्बंधित जि0कृ0पदा0)

9. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन</u> :–

9.1 सूचित किया गया कि योजना की स्वीकृति आदेश एवं आवंटन जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन अभी तक किसी भी जिला में राशि की निकासी नहीं की गई है। निदेश दिया गया कि खरीफ मौसम में क्रियान्वित की गई कार्यक्रमों की राशि की निकासी अविलम्ब की जाय।

9.2 निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अतिरिक्त क्षेत्र दलहन आच्छादन कार्यक्रम एवं टारगेटिंग राईस फैलो एरिया का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन सभी जिला अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

(अनु0–कंडिका–9.1 से 9.2–सभी जि0कृ0पदा0)

9.3 निदेश दिया गया कि जो जिले अभी तक वर्ष 2017–18 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रपत्र–42 Aमें नहीं भेजे हैं, वे इसे अविलम्ब भेज दें एवं बजट पदाधिकारी से सम्पर्क कर महालेखागार से इसका समायोजन करा लें नहीं तो इस वर्ष की राशि की निकासी नहीं हो सकेगी।

(अनु0–सम्बंधित जि0कृ0पदा0)

10. <u>धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना</u> :– इस योजना का कार्यान्वयन खरीफ, 2018 में ही किया गया है लेकिन इसकी उपलब्धि एवं निकासी की गई राशि अधिकांश जिलों द्वारा Google doc पर अपलोड नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को Google doc पर अविलम्ब अपलोड कर दिया जाय।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0)

11. <u>बामेती</u> :–

11.1 सूचित किया गया कि बामेति के माध्यम से रा0कृ0वि0यो0, रा0खा0सु0मि0 एवं आत्मा योजना अन्तर्गत जिलों को जो राशि विमुक्त की गई थी उसके अंकेक्षण हेतु प्रमण्डलवार तिथि निर्धारित कर दी गई है। यह अन्तिम मौका दिया जा रहा है। सभी जिले निर्धारित तिथि को अपने लेखापाल को भेज कर अंकेक्षण अवश्य करा लें।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0)

11.2 सभी परियोजना निदेशक आत्मा को किसान चौपाल का फीडबैक एवं जिलों में कृषकों को जो समस्याएँ आ रही हैं, उसकी जानकारी निदेशक, बामेती को भेजने का निदेश दिया गया। भोजपुर एवं बक्सर में किसान चौपाल का आयोजन नहीं किया गया है। इन जिलों में कृषि यांत्रिकरण मेला के साथ इसे आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी परियोजना निदेशक, आत्मा)

11.3 सूचित किया गया कि सभी जिलों को कौशल विकास मिशन का लक्ष्य भेज दिया गया है एवं राशि भी भेजी जा रही है। इसे अविलम्ब प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी परियोजना निदेशक, आत्मा)

12. कृषि यांत्रिकीकरण :–

12.1 कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना (2018–19) की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 1,01,953 किसानों का ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है। कृषि समन्वयक, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर क्रमशः 36,820, 15859 तथा 8827 आवेदन Pending है। निदेश दिया गया कि अभियान चलाकर Pending आवेदनों का अविलम्ब निस्तार किया जाय तथा अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन सृजन हेतु आवश्यक कार्रवाई सभी जिला कृषि पदाधिकारी करना सुनिश्चित करें। आवेदन Verification का कार्य लगभग सभी जिले में लंबित है तथा यंत्र अनुदान हेतु अभी तक मात्र 6777 स्वीकृति पत्र निर्गत हुए है। शिवहर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, गोपालगंज, बक्सर, भागलपुर एवं बांका जिलों द्वारा एक भी ऑनलाईन Permit निर्गत नहीं किया गया है, इसपर विशेष ध्यान दें।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0)

12.2 DBT Cell के I.T. Consultant को जल्द–से–जल्द OFMAS से संबंधित पंचायत Mapping सही करने को निदेश दिया गया।

12.3 सूचित किया गया कि 13 Aspirational जिलों हेतु किसान कल्याण अभियान अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना के लिए 32.50 करोड़ रू0 की योजना स्वीकृति के क्रम में प्रक्रियाधीन है। जिला स्तर पर इसका प्रचार–प्रसार करने के लिए सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। प्रचार–प्रसार करने के बाद जनवरी माह में कृषि कल्याण अभियान के लिए Online किसानों का आवेदन शुरू किया जाएगा।

(अनु0–सम्बंधित जि0कृ0पदा0)

12.4 NIC के संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को कृषक कल्याण अभियान योजना हेतु OFMAS के तर्ज पर Software बनाने का कार्य अविलम्ब पूर्ण कर समीक्षा/अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

12.5 Online Manufacture Registration अविलम्ब प्रारंभ करने का निदेश संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) मीठापुर, पटना को दिया गया।

12.6 SMAM योजना स्वीकृति वर्ष 2016–17 (कार्यान्वयन वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, प० चम्पारण, पूर्णियॉ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर एवं सीतामढ़ी की उपलब्धि शून्य है तथा भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना की उपलब्धि 25% से कम है जो चिन्ताजनक है।

(अनु0–सम्बंधित जि0कृ0पदा0)

12.7 SMAM योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2016–17 में भारत सरकार से कृषि यंत्र बैंक/CHC (Custom Hiring Centre) स्थापित करने हेतु प्राप्त राशि में से अवशेष राशि से शत्प्रतिशत वित्तीय उपलब्धि चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0)